रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-935/2025/618/22-2-2023-17(1151)/2023

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाला उर्फ सुभाष (बन्दी सं0-106/2018) पुत्र श्री केदार, जो कर्मा, थाना-रूद्रपुर, जनपद-देवरिया का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-261/1981 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश देवरिया के दण्डादेश दिनांक 23.08.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा**0** उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25.08.2015 द्वारा यथावत रखा गया।, बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2022 तक अपरिहार 07 वर्ष, 01 माह, 19 दिन तथा 08 वर्ष, 03 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या- 935/2025/618(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

4- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।

5- वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, देवरिया।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in